अनुदान संख्या 5 - रसायन और पेट्रोरसायन विभाग
GRANT No. 5 - DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	136,82,00			
			1491,08,00	1486,38,68	-4,69,32
पूरक	Supplementary	1354,26,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,69,31
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		122,29,00	121,36,06	-92,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				92,93

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	10485.00			
पू.	S.	135426.00	146066.14	146064.84	-1.30
पु.	R.	155.14			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹250.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹250.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) "रासायनिक एवं औषध उद्योग – रसायन एवं कीटनाशक – भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का प्रसंस्करण) अधिनियम, 1985" के अंतर्गत ₹1089.42 लाख की बचत (₹2533.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शाहजहानाबाद भवन की मरम्मत एवं रखरखाव के प्रस्ताव को

(II) Under "Chemical and Pharmaceutical Industries - Chemicals and Pesticides - Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985" - saving of ₹1089.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2533.00 lakhs) was due to non-approval

मंत्रालय द्वारा मंजूरी न दिए जाने, कल्याण उप–आयुक्त के स्थानांतरण तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

of proposal for repair and maintenance of the Shahjehanabad Building by the Ministry, transfer of Deputy Welfare Commissioner and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹643.00 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत और 17 प्रतिशत थी।

(III) Under two heads savings of ₹643.00 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 10 percent and 17 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचत "पेट्रो–रसायन उद्योग" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः–

2. The above savings were partly offset by excess under "Petrochemical Industries" under the following heads:-

(I) "पेट्रो–रसायन (केन्द्रीय क्षेत्र योजना) – पेट्रो–रसायन उद्योग की नई योजनाएं" – ₹811.26 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹288.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2538.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपना पहला लक्ष्य हासिल करने हेतु 5 नए सीओई और प्लास्टिक पार्कों की स्थापना करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(I) "Petrochemicals (Central Sector Scheme) - New Schemes of Petrochemicals" - excess of ₹811.26 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2538.00 lakhs including supplementary grant of ₹288.00 lakhs obtained in December, 2024) was due to requirement of additional funds towards setting up of 5 new COEs and plastic parks owing to achieving their first milestone and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) "स्वायत्त निकायों को सहायता – केंद्रीय पेट्रो–रसायन इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीपेट) को सहायता" – ₹783.00 लाख का अधिक व्यय (₹3637.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रावासों की चल रही परियोजनाओं और आगामी परियोजनाओं तथा नए सीपेट केंद्रों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) "Assistance to Autonomous Bodies - Assistance to Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET)" - excess of ₹783.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3637.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards ongoing projects and upcoming projects of Hostels and construction of new CIPET centres.